माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 20जून, 2020 को सायं 12.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक मेंविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की ओर से श्री अजिमुल हक विशेष सचिव, (गृह) .... **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19दिनांक 23.03.2020और 13.04.2020*में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

आइटम न. 1:पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार परकैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

महानिदेशक (जेल) के दिनांक 18.06.2020 के पत्र द्वारा जेल कैदियों और जेल स्टॉफ के कोविड–19 पॉजिटिव केसों के विषय में ताजा मिली जानकारी को जानकर अध्यक्ष ने इस पर चिंता व्यक्त की और उठाए गए कदमों के विषय में पूछाः

1. जेल प्रशासन इस स्थिति से निपटने और जेल परिसर में संक्रमण में वृद्धि को रोकने का प्रयास कर रहा है;

2. महानिदेशक (जेल) और जेल प्रशासन समिति की पहले की बैठकों में लिए गए निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा निर्देशों का पालन कर रहा है।

श्री संदीप गोयल,महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल प्रशासन समिति की पहले की बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों**का गहनता से पालन कर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप वे **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार** को जेल परिसर के अंदर मई, 2020 के मध्य तक रोकने की स्थिति में थे।

उन्होने आगे सूचित किया कि इस वायरस के दिल्ली एनसीआर में प्रसार और उनके उत्तम प्रयासों के साथ –2 बहुआयामी दृष्टिकोण के बावजूद **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का

विस्फोट हो गया और वह जेल परिसर में प्रवेश कर गया। महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 20.06.2020 तक **36 जेल स्टॉफ** के अतिरिक्त **20 जेल के कैदी** कोविड–19 पॉजिटिव पाए गए थे।

पूछने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि 20 जेल के कैदी जो कोविड–19 पॉजिटिव पाए गए थे उनको जेल परिसर में अलग से एकांत में रखने पर उन में से 16 ठीक हो गए। उन्होने आगे सूचित किया कि 3 कैदियों को अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता थी तदानुसार उनमें से 2 को LNJP अस्पताल और 1 को एम्स में भर्ती करवाया गया। वहां वे स्वस्थ हो रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि 1 कैदी **'K'**आयु 62 वर्ष दोषी होने के कारण मंडोली की जेल न. 14 में अपनी सजा काट रहा था। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 15.06.2020 सोते हुए मृत अवस्था में पाया गया तदानुसार उसकी पूछताछ की कार्यवाही की गई। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उसकी मृत शरीर का कोविड–19 टेस्ट किया गया और दिनांक 19.06.2020 को उसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई।

अध्यक्ष के पूछने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उक्त **'K'** 28 अन्य कैदियों के साथ बैरक में रह रहा था। आज वे सभी स्वस्थ हैं। समिति ने **निर्णय** लेते हुए महानिदेशक (जेल) को **निर्देश** दिया कि मेडिकल आवश्यकता और सलाह के अनुसार वे इन 28 कैदियों का कोविड–19 टेस्ट करवाएं और उन्हें अलग से एकांत में रखा जाए। महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि इन सभी 28 कैदियों का कोविड–19 टेस्ट आज ही अथवा ज्यादा से ज्यादा कल तक हो जाएगा।

समिति ने निर्णय लिया कि **55 वर्ष से अधिक उम्र** के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी रखी जाए जिससे वे प्रतिरक्षा में अक्षम न हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि आज तक 36 जेल स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उन्होने सूचित किया कि उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत पश्चात उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी गई और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा। वैसे उन सभी में लक्षण नही हैं।महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन सब की contact tracing कर ली गई थी और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened कर दिया गया था।महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि 36 जेल स्टॉफ जो कि पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से 7 पहले ही ठीक हो गए थे और टेस्ट करने पर **नेगेटिव** पाए गए। उन्होने सूचित

किया उनमें से केवल2 जेल स्टाफ को अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता थी और 2 संस्थागत एकांत सुविधा में हैं जबकि बाकी 25 घर में एकांत में हैं।

समिति के सदस्यों ने जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर विचार विमर्श किया। यह विचार किया गया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) जेल परिसर में केवल नए प्रवेशकों अथवा जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ एवं अन्य जेल परिसर में राशन या अन्य आवश्यक वस्तुएं देने के लिए जेल परिसर में प्रवेश करतें हैं, के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि पिछली बैठक में अपनाए गए निर्णयों के अनुसार नए प्रवेशकों को **अलगाव वार्ड** में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके। इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना होगा कि जेल स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ, रखरखाव स्टॉफ और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए परिसर में प्रवेश करने वाले भी आवश्यक सावधानी बरतें जिससे कि वे जेल परिसर के अंदर के कैदियों से सीधे संपर्क में नही आ सकें।

पिछली बैठक में समिति को महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया था कि तिहाड़ के जेल न. 02 और मंडोली की जेल न. 13 को 21 वर्ष से अधिक नए पुरूष प्रवेशकों के लिए और उन नए कैदियों के लिए जिनकी आयु 18–21 वर्ष के बीच है उनके लिए तिहाड़ की जेल न. 05 को **अलगाव वार्ड** के रूप में बनाया जाएगा। वहीं नई महिला कैदियों के लिए जेल न. 06 में **अलग अलगाव वार्ड** बनाए गए थे।

दिनांक 18.05.2020 की बैठक में अपनाए गए **व्यक्तिगत सेल** को **एकांत सुविधा** के रूप में व्यक्तिगत प्रयोग करने के निर्णय के अनुसार व्यक्तिगत सेल की आवश्यकता पर अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की। उस बैठक में यह निर्णय हुआ था कि मंडोली की जेल न. 15,जिसमें **248 व्यक्तिगत सेल (संलग्न शौचालयों के साथ)** हैं, को इस सुविधा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अंतिम बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि 178 कैदी जो जेल न. 15 में बंद हैं उनमें से 18 कैदियों को छोड़कर जो कि उस जेल में **सहायक** के रूप में कार्य करतें हैं बाकि 160 कैदियों को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उक्त निर्णयों का **पालन** कर लिया गया है। नए प्रवेशकों की संख्या के संबंध में उन्होने सूचित किया कि जेल न. 15 के **व्यक्तिगत सेल** अब पूरी तरह से भर गए हैं। अध्यक्ष के द्वारा यह कहे जाने पर कि कुछ अन्य जेलों को इस प्रकार प्रयोग किए जाने की संभावना की तलाश करो। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल न. 7 को इस

प्रकार प्रयोग किया जा सकता है वे इस जेल के कैदियों को किसी अन्य वार्ड में डालकर इस वार्ड को खाली कर देंगे। महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया जेल न. 7 के इस खाली वार्ड से नए कैदियों जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक्षक है, उन्हें आरंभ में 14 दिनों के लिए रखने के लिए **अलग एकांत वार्ड** बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष के द्वारा, किसी अन्य स्थान की उपलब्धता जिसे **अस्थायी जेल** में परिवर्तित किया जा सके के संबंध में, जानकारी मांगी गई थी। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिल्ली पुलिस से परामर्श करने के पश्चात उन्होने मंडोली के पुलिस क्वार्टर की पहचान की है, जो कि मंडोली जेल के साथ ही स्थित हैं और वर्तमान में इसे कोविड के रोगियों के लिए सरकारी मेडिकल एकांत सुविधा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उन्होने सूचित किया उन्हाने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से बात की कि उक्त क्वार्टरों को उन्हें **अस्थायी जेलों** में परिवर्तित करने के लिए उपलब्ध करवाया जाए। उन्होने सूचित किया कि उक्त क्वार्टरों में 12 टावर हैं जिसमें प्रत्येक टावर में 30 फ्लैट हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इन 360 फ्लैटों को कोविड पॉजिटिव केसों के लिए और नए प्रवेशकों हेतु **एकांत सुविधा** के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उन्होने सूचित किया कि इन फ्लैटों में **1800 नए प्रवेशकों** को रखने की क्षमता है।

यह जानने के पश्चात कि इन 360 फ्लैटों में उपलब्धता की संभावना है, अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) के साथ–2 विशेष सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वे जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सहमति प्राप्त करने के **पुख्ता प्रयास** करें। इस प्रकार यह समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी।

अध्यक्ष के द्वारा विचाराधीन कैदी की अंतरिम जमानत की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जेल परिसर में उसके आत्मसमर्पण के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में पूछा गया तो महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ऐसे विचाराधीन कैदियों को जो अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल परिसर में आत्मसमर्पण करतें हैं तो उन्हें **नए कैदी** के रूप में प्रवेश करवाया जाता है अनका चिकित्सीय परीक्षण होता है और उन्हें **अलगाव वार्ड** में रखा जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में क्रमशः अलग एकांत वार्ड में रखा जाएगा।

समिति के सदस्यों ने जेल में पहले से ही बंद कैदियों की सुरक्षा के लिए सभी नए प्रवेशकों को जेल में बंद करने से पूर्व **रेपिड टेस्ट** की सुविधा के विषय में विचार–विमर्श किया। समिति की यह राय थी कि स्थिति से निपटने के लिए और पहले से बंद कैदियों में संक्रमण रोकने

के लिए **रेपिड टेस्ट** की आवश्यकता है। अध्यक्ष के निर्देश पर महानिदेशक (जेल) ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार **रेपिड टेस्ट** को प्राप्त करने की **संभावना** को चेक करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

अध्यक्ष ने कोविड–19 के संदिग्ध केसों से निपटने के लिए जेल अस्पताल और डिस्पेंसरियों में उचित संख्या में आक्सीमीटर के साथ–2 आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता के विषय में पूछा।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि यहां दो अस्पताल हैं एक तिहाड़ में और दूसरा मंडोली जेल में। उन्होने आगे सूचित किया कि इन दो अस्पतालों के अतिरिक्त उनके पास प्रत्येक जेल में अलग डिस्पेंसरी है जिसे उचित संख्या में डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा चलाया जाता है। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उनके पास आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की जिसमें आक्सीमीटर और आक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त उपलब्धता है और नियमित रूप से आपूर्ति होती रहती है। अध्यक्ष के सुझावपर समिति के द्वारा यह **निर्णय**लिया गया कि जेल **अस्पताल आक्सीजन से सबंधित मशीनों** से अवश्य सुसज्जित रहेंगे और इस प्रकार की दो मशीने प्रत्येक दोनो अस्पतालों के लिए जल्द ही ली जाएंगी। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

महानिदेशक (जेल) नेअध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19(नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMRस्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम न. 2:जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम

जेल परिसर में**कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने पर समिति के द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर कि जेल प्रशासन के द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं तो महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से कोविड–19 (कोरोना वायरस) कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होने बताया कि उपरोक्त सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी अपनाई जा रही हैं:–

(ए)जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ की **थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट** करवाए जाते हैं।

(बी) **कैदियों का बाहर के लोगों से मिलना बहुत कम** कर दिया गया है इसके लिए उन्होने कैदियों के जेल से बाहर जाने के साथ –2 बाहरी लोगों की जेल में आने पर पाबंदी लगा दी है।

(सी) किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर जेल स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, डाक्टरों और तकनीकी स्टॉफ के लिए **मेडिकल एकांत की सुविधा** प्रदान की गई है।

(डी) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मूल स्वच्छता के विषय में क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए इस संबंध में **निरंतर जागरूकता का प्रसार** स्टॉफ के बीच भी किया जा रहा है।

(ई) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ को राज्य से बाहर छुट्टी से लौटने के पश्चात **एकांत में रहने की सुविधा** भी प्रदान की जाती है।

(एफ) जेल स्टॉफ, मेंटेंनेंस स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य किसी भी आवश्यक वस्तु की डिलीवरी के लिए जेलों में प्रवेश करने वाले सभी प्रवेशकों की कोविड–19 की स्क्रीनिंग के लिए मेडिकल स्टाफ के द्वारा **एक विशेष चेकलिस्ट** तैयार की गई है।

(जी) जेल स्टॉफ, मेंटेंनेंस स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य किसी भी आवश्यक वस्तु की डिलीवरी के लिए जेलों में प्रवेश करने के लिए **मास्क पहनना** अनिवार्य कर दिया गया है।

(एच) मेंटेंनेंस स्टॉफ के साथ–2 जेल कर्मचारियों को **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट प्रदान** की गई है और उन्हे अपने संबंधित कर्तव्यों के दौरान ही पहनने के लिए निर्देशित किया गया है।

(आई) सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ–2 कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह किया है।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया। हालांकि जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ और मेडिकल स्टॉफ के द्वारा जेल के कैदियों के मध्य कोविड–19 के प्रसार की संभावना जीवित है, महानिदेशक (जेल) ने ICMR के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी **उपरोक्त निर्दिष्ट स्टॉफ में रेपिड टेस्ट** आरंभ करने के लिए कहा। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव जेल स्टॉफ को जेल के कैदियों के संपर्क में आने से रोका जा सके। महानिदेशक (जेल) के साथ–2 श्री अजिमुल हक, विशेष सचिव (गृह) ने **आश्वासन** दिया कि जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ और मेडिकल स्टॉफ का **रेपिड टेस्ट** जल्द से जल्द करवाएगे।

तदानुसार यह हल किया जाता है।

<u>आइटम नंबर 3:–जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा</u>

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक 23. 03.2020 को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 18.04.2020 05.05.2020 और 18.05.2020 को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक**W.P. (Criminal)No.779/2020**के आधार पर**व्यक्तिगत बांड** पररिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया।।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

दिनांक 20.6.2020 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	**2651**
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	**310**
दिनांक 20.06.2020 तक आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	**1108**
सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	**60**
दिनांक 20.06.2020 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी	**4129**

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की **सराहना** की। अध्यक्ष ने पुनः निर्देश दिया कि महानिदेशक (जेल)**सजा की छूट** के लिए पात्र दोषियों के मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के साथ मिलकर जल्द कदम उठाए।

आइटम नंबर 4:–दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020, 05.05.2020 और 18.05.2020 कीबैठकों में अभिलिखित मानदंडों के आधार विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में विचार

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि इस समिति ने दिनांक 04.05.2020 का एआईजी (जेल) के पत्र और महानिदेशक (जेल) के विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के प्रस्ताव के आधारपर दिनांक 05.05.2020 की बैठक में विचाराधीन कैदियों की ***Writ Petition (Civil) 2945/2020,* titled *"Shobha Gupta & Ors. Vs. Union of India & Ors."*** के आधार के साथ–2 उससे पूर्व की बैठकों में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर अंतरिम जमानत 45 दिनों के लिए पुनः आगे बढाने की सिफारिश की थी।

उन्होने समिति को बताया कि दिनांक 05.05.2020 की बैठक में उन्हें दिए गए आदेशानुसार उन्होने **दिनांक 06.05.2020** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था। उन्होने आगे सूचित किया कि उक्त पत्र के आधार पर **दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक विशेष पीठ का गठन किया** और उस विशेष पीठ ***Writ Petition (Civil)***

Number 3080/2020, titled ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."*****दिनांक 09.05.2020** के आदेश में विचाराधीन कैदियों की **अंतरिम जमानत** को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से **45 दिनों के लिएआगे बढ़ा दिया**।

समिति को आगे पुनः सूचित किया गया कि अंतरिम जमानत की बढ़ाई गई अवधि के साथ–2 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत की अवधि समिति की दिनांक 05.05.2020 और 18. 05.2020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर **जून माह के अंतिम सप्ताह में समाप्त** होने जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि महामारी की स्थिति अभी भी वैसी ही है, जैसी वो पहले थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था, अतः यह एक **खतरनाक प्रस्ताव** होगा यदि वे विचाराधीन कैदी, जिन्हें 45 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी, वे आत्मसमर्पण के पश्चात वापिस आतें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने प्रस्तावित किया कि इसको दृष्टि में रखते हुए विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध मेंमहानिदेशक (जेल) का**दिनांक 13.06.2020**का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस **विशेष पीठ** का गठन किया गया था जिसमें **दिनांक 09.05. 2020** के आदेश के द्वारा अंतरिम जमानत को पहले बढ़ाया गया था वही मामला **दिनांक 22.6.2020 के लिए सूचीबद्ध है।**

समिति ने विचार किया और आगे माना कि न्यायालय प्रणाली के सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए किसी निशचित तारीख की भविष्यवाणी करना इस समय संभव नही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी कोई निशचित नही है कि महामारी का खतरा कब कम होगा और **सामाजिक दूरी** की आवश्यकता नही रह जाएगी। समिति की यह राय है कि जिन विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत प्रदान की गई है। उनकी अंतरिम जमानत की तिथि समाप्त होने से पूर्व उनकी संबंधित तिथि से 45 दिनों के लिए और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार **सिफारिश** की जाएगी।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन सिफारिशों को इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की 45 दिन की अवधि के लिए **सूचित करेगा।** महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचारधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

<u>आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे 8 सप्ताह के लिए बढ़ाने के संबंध में फीडबैक</u>

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के निर्देश पर उन्होने महानिदेशक (जेल) को **दिनांक 08.05.2020** को पत्र लिखा था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को **अधिसूचना सं.No.F.18/191/2015/HG/1379/1392दिनांक 23.03.2020** में सुधार/संशोधन के लिए एक पत्र/सिफारिश भेजे। जिसमें **आपातकालीन पैरोल** को **नियम 1212ए** में शामिल किया गया था, जिससे कि पहले दी गई **आपातकालीन पैरोल** को 8 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जा सके। यह इस समय की आवश्यकता है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उस पत्र के आधार पर जो कि सदस्य सचिव, डीएसएलएसए से प्राप्त हुआ था। उन्होने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए **दिनांक 11.05.2020** को पत्र लिखा था।

श्री अजिमुल हक, विशेष सचिव,(गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा अधिसूचना में आवश्यक संशोधन **अधिसूचना सं. F.18/191/2015-HG/1649-62 dated 20.05.2020**के द्वारा कर दिए गए है जिसमें यह अधिसूचित किया है कि

"जेल प्रशासन और बड़े पैमाने पर समाज के कैदियों के हित को सुरक्षित करने के लिए इन नियमों में प्रदान की गई नियमित पैरोल के अलावा सरकार एक बार में 8 सप्ताह की पैरोल दे सकती है। इसके अतिरिक्त इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है यदि आपातकालीन स्थिति होती है।"

श्री अजिमुल हक, विशेष सचिव,(गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने आगे अध्यक्ष को अवगत कराया कि इस अधिसूचना के आधार पर ***माननीय मंत्री (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने आपातकालीन पैरोल को आगे 8 सप्ताह की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया।*** यह उन सभी दोषियों के लिए है जिन्हें पहले आपातकालीन पैरोल पर दिनांक **30.04.2020** को या उससे पहले रिहा कर दिया गया था। इस संबंध में उप सचिव(गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दिनांक **22.05.2020** आदेश जारी हो गया था।

समिति दिनांक 18.05.2020 के निर्णयों के आधार पर आए **परिणाम से संतुष्ट**है।

<u>आइटम नंबर 6ः– अंतरिम जमानत के मद्देनजर जो कैदी छोड़े जा सकतें हैं उनके लिए एक नए वर्ग का निर्धारण</u>

समिति के सदस्यों ने विचार किया कि पहले अपनाए गए मानदंडों के आधार पर आज तक 4129 कैदी/दोषी/विचाराधीन कैदी **अंतरिम जमानत/पैरोल** पर रिहा किए जा चुके हैं।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को **दिनांक 13.06.2020** के पत्र/सिफारिश के विषय में सूचित किया जिसमें महानिदेशक (जेल) ने दिल्ली की जेलों में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** महामारी की ताजा स्थिति को प्रस्तुत किया था। उन्होने आगे कहा कि जेलों में भीड़ कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पश्चात भी दिल्ली की सभी **16 जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 10026 है** जबकि **दिनांक 19.06.2020** को जेलों में जनसंख्या **13677** है।

इस स्थिति को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने दिनांक 13.06.2020 के उनके पत्र में कहा है है कि पहले अपनाए गए मानदंडों को **और अधिक लचीला** किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि जेलों में भीड़ को और अधिक कम किया जा सके क्योंकि आज भी जेलों में रहने वालों की संख्या जेल की पर्याप्त क्षमता से अधिक है।

आज की परिस्थिति को देखते हुए **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने और कैदियों के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए समिति की यह राय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए मानदंडो को **और अधिक लचीला** बनाए जाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर महानिदेशक (जेल) से **प्रभावी विश्लेषण** के रूप में विचाराधीन कैदियों के लिए प्रस्तावित लचीले मानदंड की सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तदानुसार वह प्रस्तुत की जाती है।

दिनांक 13.06.2020 के पत्र के द्वारा महानिदेशक (जेल) के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर समिति के सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है और **निर्णय** लिया जाता है कि आज की परिस्थितियां जिनमें आज हम हैं, को दृष्टि में रखते मुख्यतः **व्यक्तिगत बांड** पर निम्नलिखित मानदंडों में आने वाले कैदी को अब **45 दिनों की अंतरिम जमानत** प्रदान करने पर विचार किया जाएगा –

(i) ***धारा 498 ए और 304 बी आईपीसी*** *के अंतर्गत विचाराधीन कैदी (जिसकामृतक के साथ पति का संबंध था) जो मुकदमें का सामना कर रहें है, जो* ***दो से अधिक वर्षो*** *से जेल में है और वे किसी* ***अन्य केस में सम्मिलित नही*** *हैं।*

(ii) ***धारा 498 ए और 304 आईपीसी*** *के अंतर्गत विचाराधीन कैदी (जिनका मृतक के साथ ससुर, सास, देवर, ननद के रूप में संबंध था) जो मुकदमें का सामना कर रहें है जो* ***एक से अधिक वर्ष*** *से जेल में है और वे किसी* ***अन्य केस में सम्मिलित नही*** *हैं।*

आगे यह भी **निर्णय** लिया गया कि विचाराधीन कैदियों की निम्नलिखित श्रेणी यदि उपरोक्त मानदंडों के अंतर्गत अथवा पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों में आते भी हैं तो भी उन **पर विचार नही किया** जाएगा।

1. *वे विचाराधीन कैदी जिनका एनडीपीएस अधिनियम के तहत मध्यस्थ/बड़ी मात्रा में वसूली के लिए परीक्षण चल रहा है।*
2. *वे विचाराधीन कैदी जो पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
3. *वे विचाराधीन कैदी जो धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी और 376 ई और एसिड हमले के तहत अपराधों के लिए मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
4. *वे विचाराधीन कैदी जो विदेशी नागरिक हैं।*
5. *वे विचाराधीन कैदी जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी अधिनियम)/ पीएमएलए/मकोका के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं, और*
6. *CBI / ED / NIA / दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, SFIO आतंकवाद से संबंधित मामलों, दंगे के मामले, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम आदि के तहत मामलों में जांच चल रही है।*

उपर्युक्त छह श्रेणियों के अतिरिक्त समिति ने उन विचाराधीन कैदियों को भी बाहर रखने का **निर्णय** लिया जो यहां दिए गए पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों का लाभ उठाने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हुए और उन्हाने अंतरिम जमानत पर रहते हुए नए अपराध किये। इस प्रकार सातवीं श्रेणी को **बहिष्करण खंड** में सम्मिलित किया गया है।

7. उच्चाधिकार समिति के द्वारा उसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर छूटे वे कैदी जो अंतरिम जमानत के दौरान अपराध करने के कारण अब हिरासत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इन नए मानदंडों के आधार पर लगभग **75 विचाराधीन कैदी** लाभान्वित होंगे और उनकी रिहाई से जेल की आबादी भी **कम होगी** क्योंकि पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोडें गए कैदियों की कुल संख्या लगभग 4200 तक हो जाएगी।

उपरोक्त लचीले मानदंड में आने वाले विचाराधीन कैदी जमानत के लिए अपना आवेदन डीएसएलएसए के **पैनल अधिवक्ताओं या निजी अधिवक्ताओं**के द्वारा प्रस्तुत का सकतें हैं। आवेदन के साथ कस्टडी वारंट की प्रतिलिपि भी संलग्न हो।

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत पर, **जेल अधीक्षक** को ओर से उसके कस्टडी अवधि के दौरान **अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र** प्राप्त होने के पश्चात ही, विचार किया जाएगा। तभी वह इस उपरोक्त श्रेणी के योग्य हो पाएगा।

अध्यक्ष ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा को निर्देश दिया कि वे जिला जजों से अनुरोध करें कि वे सभी न्यायिक अधिकारियों को अवगत करायें कि यदि विचाराधीन कैदी उपरोक्त मानदंडो के साथ –2 पहले अपनाए गए मानदंडों के अंतर्गत आता है और कोर्ट उससे **संतुष्ट है** तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर उसे**व्यक्तिगत बांड** पर भी छोड़ा जा सकता है जिससे सरकार की **सामाजिक दूरी की नीति** का भी पालन किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020,05.052020,18.05.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही** करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

<u>आइटम नंबर 7:– प्राप्त रिप्रजेंटेशन पर विचार</u>

(ए) **यह रिप्रजेंटेशन मालविंदर मोहन सिंह के ओर से दायर की गई है जिसमें श्री नियोमा वासुदेव और श्री अभिनव मुखर्जी अधिवक्ताओं की ओर से उच्चाधिकार समिति के द्वारा अपनाए गएमानदंडों में संशोधन की मांग की गई है।**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति को **दिनांक 22.05.2020 कीरिप्रजेंटेशन** से अवगत करवाया जिसमें प्रार्थी ने कहा कि उच्चाधिकार समिति के द्वारा किए गए वर्गीकरण में उन व्यक्तियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए सम्मिलित नही किया है जिन पर आर्थिक अपराध करने का आरोप है। यह न तो उचित है और न न्यायसंगत। यह कहा गया कि हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के आदेश में मानदंड तय करने के लिए समिति पर छोड़ दिया है।हालांकि यह एक उचित वैशिष्टय पर आधारित होना चाहिए जिससे कि आदेश का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।

प्रार्थी के द्वारा वर्तमान रिप्रजेंटेशन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित **दिनांक 15. 05.2020** के***WP (Crl) No. 814/2020,*** titled ***"Malvinder M. Singh v. State and Anr."***आदेश में प्रदान की गई स्वतंत्रता के अनुसार दायर की गई हैं जिसमें प्रार्थी के द्वारा जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था जो कि निरस्त हो गया।

समिति के सदस्यों ने **रिप्रजेंटेशन** को ध्यानपूर्वक देखा और माननीय उच्च न्यायालय कें **दिनांक 15.05.2020** के आदेशों को पढ़ा जिसमें प्रार्थी के द्वारा **मांगी गई राहत कोअस्वीकार** कर दिया गया। समिति के सदस्यों ने रिप्रजेंटेशन के साथ संलग्न दस्तावेजों को भी देखा जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रार्थी एक विचाराधीन कैदी है जो कि तिहाड़ जेल में 11.10.2019 से बंद है और वह निम्नलिखित मामलों में आरोपी हैः

(ए) FIR No. 50/2019 dated 27.03.2019 at P.S. EOW u/s 420/409/120B IPC culminating in Chargesheet on 6.1.2020

(बी) ECIR dated 10.1.2020 culminating in Chargesheet being ECIR No.05/DLZO-II/2019dated 24.7.2019 u/s. 3,4 PMLA read with Schedule I, read with 420/120BIPC

(सी) FIR No. 189/2019 dated 23.9.2019 at P.S. EOW u/s 409/120B culminating inChargesheet on23.3.2020

इसरिप्रजेंटेशन पर विचार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***Suo Motu Petition(Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19*** दिनांक 23.03.2020 के आदेश का उल्लेख करना उचित है जिसके अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था। उसे निम्न प्रकार से पढ़ा गयाः

*"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येकराज्य/केन्द्र शासित प्रदेश **एक** उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें शामिल होंगे (1)राज्य विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (गृह/जेल), जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है (3) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो कि उचित हो। जैसे कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उन कैदियों को रिहा करने पर विचार करतें हैं जो कि अपराधी या अपराधों के लिए विचाराधीन है, जिनके लिए निर्धारित दंड 7 साल या उससे कम है, दंड के साथ या दंड के बिना और कैदी अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्षों के लिए अपराधी ठहराया हुआ है।*

*यह स्पष्ट किया जाता है कि यह हमउच्चाधिकार समिति पर छोड़ देते है कि वह वर्ग/कैदियों पर विचार करे, कि किसे छोड़ा जाना है जैसा कि ऊपर कहा गया है, **अपराध की प्रकृति, सजा के वर्ष, जिसके लिए उसे सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसका उस पर आरोप लगा है और वह मुकदमे का सामना कर रहा/रही है अथवा अन्य कोई उचित कारण जिसे समिति उचित समझती है।**"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को निरस्त करते हुए इसके बाद के दिनांक 13.04.2020 के आदेश में उनके पहले के आदेश को स्पष्ट किया जो इस प्रकार हैः

"हम स्पष्ट करतें हैं कि हम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को अनिवार्य रूप से कैदियों को उनकी जेलों से रिहा करने का निर्देश नही दे रहें हैं। उपरोक्त आदेश में हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का था कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश इस समय देश में फैली महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जेलों की स्थिति का आकलन करें और कुछ कैदियों को रिहा करें इस उद्देश्य के लिए वह रिहा किए जाने वाले कैदियों के वर्गीकरण पर विचार करे।"

हम यह स्पष्ट करतें हैं कि उपरोक्त आदेश का पालन अक्षरतः न करके उसके पीछे छिपी भावना के अनुसार करना है "

(emphasis supplied)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने **दिनांक 23.3.2020** में दी गई टिप्पणियों/निर्देशों को अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि **यह आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है।** यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के **दिनांक 13.04.2020** को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनिवार्य रूप से कैदियों को उनकी जेलों से रिहा किए जाने का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी वर्ग/श्रेणी का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए **अधिकार के रूप में उसकी मांग/दावा नही कर सकता।**

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA* /दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा गया। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित कारको** पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्यसंतुष्टि** के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाए सभी कैदियों को नही। प्रस्तुत रिप्रजेंटेशन में की गई विनती केवल प्रार्थी से ही संबंधित है। हालांकि समिति ने जैसा कि पहले कहा था कि वह किसी व्यक्तिगत केस को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता पर विचार करने के लिए नही बनाई गई थी। यहकिसी विशेष कैदी या बंदी के लिए नही बल्कि किसी विशेष वर्ग पर विचार कर के उनके लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए बनाई गई है।

इन सभी को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह राय है कि रिप्रजेंटेशन **मेरिट पर नही है तदानुसार अस्वीकृत की जाती है।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.4.2020, 05.05.2020, 18.05.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही करेगी।** जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही** आतें हैं वे संबंधित न्यायालयों में

अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

(बी) धारा 304 बी के अंतर्गत अंतरिम जमानत आने वाले केसों पर विचार करने हेतु श्री आलोकत्रिपाठी, अधिवक्ता द्वारा दायर रिप्रजेंटेशन

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति को **दिनांक 24.05.2020 कीरिप्रजेंटेशन** से अवगत करवाया जिसे **श्री आलोक त्रिपाठी, अधिवक्ता** के द्वारा धारा 304 बी के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन कैदियों, जो कि मुकदमे का सामना कर रहें हैं और दो से अधिक वर्षों से जेल में हैं और वे अन्य किसी केस में सम्मिलित नही हैं, को रिहा करने पर विचार करने हेतु दायर की है।

यहां आज उपरोक्त समिति के द्वारा अपनाए गए निर्णयों पर विचार करते हुए वर्तमान रिप्रजेंटेशन में आगे किसी विचार विमर्श करने की आवश्यकता नही है।यह **आधारहीन** है।

(सी) श्री सिद्धार्थ यादव, अभिवक्ता के द्वारा प्रार्थी राजेन्द्र उर्फ जिन्दर को पैरोल प्रदान करने के आवेदन

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव **ने दिनांक 26.05.2020 का** आवेदन समिति के नोटिस में लाए जिसे प्रार्थी राजेन्द्र एर्फ जिन्दर पुत्र श्री नत्थु राम की ओर से **श्री सिद्धार्थ यादव, अधिवक्ता** के द्वारा दायर किया गया था।

समिति के सदस्यों ने आवेदन/ रिप्रजेंटेशन के साथ –2 माननीय उच्च न्यायालय का **दिनांक** 08.05.2020 का आदेश ***WP (Crl.) 795/2020,*** titled ***"Rajinder alias Jinder Vs. State (NCT of Delhi)"*** *को* ध्यानपूर्वक पढ़ा। जिसमें प्रार्थी ने **सक्षम प्राधिकारी** से संपर्क करने की स्वतंत्रता पर पैरोल मांगने की अपनी याचिका वापिस ले ली थी।

आवेदन के साथ–2 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि पैरोल मांगने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रार्थी को दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए वर्तमान उच्चाधिकार समिति का गठन किया था। प्रार्थी द्वारा दायर पैरोल के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए यह समिति सक्षम प्राधिकरण नही है।

तदानुसार, वर्तमान आवेदन **निरस्त** करने के साथ प्रार्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह **सक्षम प्राधिकरण में संपर्क** करे।

(डी) **<u>धारा 21 (सी)/29 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत लगे आरोपों के लिए अंतरिम जमानत मांगने हेतु विचाराधीन कैदी जयोस करयोंग के ओर से रिप्रजेंटेशन</u>**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति को प्रार्थी की ओर से श्री **जुबैल अहमद खान, अधिवक्ता** के द्वारा दायर की गई **रिप्रजेंटेशन** से अवगत करवाया जो कि दिनांक 07.06.2020 को ई–मेल के द्वारा भेजी गई।

समिति के सदस्यों ने प्रार्थी के द्वारा दायर रिप्रजेंटेशन का अवलोकन किया।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने **दिनांक 23.3.2020** में दी गई टिप्पणियों/निर्देशों को अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि **यह आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है।** यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के दिनांक 13.04.2020 को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को **अनिवार्य रूप से कैदियों को उनकी जेलों से रिहा किए जाने** का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी **भी** <u>वर्ग/श्रेणी</u> का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए **अधिकार के रूप में उसकी मांग/दावा नही कर सकता।**

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की <u>श्रेणी/वर्ग</u>, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA* /दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के विचार क्षेत्र से बाहर रखा गया। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित**

कारको पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्य संतुष्टि** पर पहुंचने के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाए सभी कैदियों को नही।

इन सभी को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह राय है कि **रिप्रजेंटेशन मेरिट पर नही** है तदानुसार **अस्वीकृत** की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4. 2020,05.052020, 18.05.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही करेगी।** जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में अपने मुवक्किलों की जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

(ई) सभी जेल के कैदियों के साथ–2 जेल स्टॉफ का कोविड –19 टेस्ट करवाने हेतु जेल प्राधिकारियों के लिए आदेश मांगने हेतु श्री जय ए. देहादराई, अधिवक्ता की दिनांक 12.06.2020की रिप्रजेंटेशन

समिति के सदस्यों ने **दिनांक 12.06.2020** की रिप्रजेंटेशनपरसहायक दस्तावेजों के साथ विचार किया जो कि समिति के अध्यक्ष को संबोधित की गई थी।

समिति के सदस्य हालांकि जेल में बंद कैदियों में **कोविड –19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संक्रमण के जोखिम** के बारे में प्रार्थी की चिंता की **सराहना** करतें हैं क्योंकि जेल में रहने वालों की स्थिति के कारण संक्रमण होता है, हालांकि समिति की रॉय है कि इस स्थिति में सभी कैदियों का **कोविड –19** परीक्षण न तो संभव है और न वांछनीय।

समिति इसी कारण को देखते हुए जेल परिसर के अंदर कोविड –19 के प्रसार को रोकने के लिए पहले ही अपेक्षित कदम उठा चुकी है। उसी के लिए, इस समिति ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि अपनी पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों के साथ–2 आज अपनाए गए निर्णय के अनुसार जेल के डॉक्टरों के द्वारा ICMRएवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा

जारी सलाह/दिशानिर्देशोंका कड़ाई से पालन करते हुएजेल के सभी कैदियों और जेल स्टॉफ का नियमित रूप से मेडिकल चेकअप करवाया जाए। महानिदेशक (जेल) कोनए कैदियों के लिए अलग **एकांत वार्ड** बनाने के लिए आगे निर्देश दिए गए जिससे जेल में पहुंचने के पश्चात तुरंत उन्हें अन्य कैदियों से **घुलने मिलने** की आज्ञा न दी जाए।

जेल स्टॉफ को भी निर्देशित किया गया कि वे किसी भी संदिग्ध केस में थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल परीक्षण करवाना जारी रखें। मेडिकल आवश्यकता के अनुसार जेल प्रशासन CT-PCR टेस्ट भी करवाएगा।

इसको दृष्टि में रखने के साथ–2 महानिदेशक (जेल) को सारे जेल स्टॉफ का **रेपिड टेस्ट** करवाने का निर्देश दिया और ICMR के दिशानिर्देशों के अनुरूप नए प्रवेशकों को जेल में बंद करने से पूर्व उनका**रेपिड टेस्ट** करवाने की **संभाव्यता** पर भी विचार करें। वर्तमान रिप्रजेंटेशन में आगे **कोई निर्देश पास करने की आवश्यकता नही** है।

इस रिप्रजेंटेशन से विलगाव से पूर्व समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि **वे 55 वर्ष से अधिक आयु** वाले कैदियों के संबंध में **अतिरिक्त सावधानी** बरतें, ताकि वे **प्रतिरक्षा समझौते** न करें। महानिदेशक (जेल) को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई संदिग्ध मामला जेल प्रशासन के संज्ञान में आता है, तो अन्य सभी कैदियों और जेल कर्मचारियों के *contact tracing*किए जाए और यदि आवश्यक हो तो उनके **कोविड–19** टेस्ट करवाए जाए।

तदानुसार **श्री जय ए. देहादराई, अधिवक्ता की दिनांक 12.06.2020** की रिप्रजेंटेशन निरस्त की जाती है।

समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त रिप्रजेंटेशन लगाने वाले प्रार्थियों को इस संबंध में उसके परिणाम की समस्त जानकारीप्रदान करें।

तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटम नंबर 8: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

(ए) सजा समीक्षा बोर्ड की मीटिंग

अध्यक्ष की अनुमति से महानिदेशक (जेल) समिति के संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित **दिनांक 11.05.2020** के आदेश केस शीर्षक ***Writ Petition (Civil) No.3095/2020, titled "Amit Sahni Vs. The State (Govt. of NCT of Delhi) &Anr.".***लाए।

समिति के अध्यक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.05.2020 के आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ा और महानिदेशक (जेल) और विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से पूछा कि **सजा समीक्षा बोर्ड** की अंतिम मीटिंग कब आयोजित की गई थी।

महानिदेशक (जेल) और विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने अध्यक्ष को सूचित किया कि **सजा समीक्षा बोर्ड** की मीटिंग **28.02.2020** को और वहीं दूसरी मीटिंग **11.05.2020** को आयोजित की गई थी। जिसमें कुछ दोषियों के लिए माफी/सजा की समीक्षा के लिए सिफारिश की गई थी।

विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने समिति को अवगत कराया कि **सजा समीक्षा बोर्ड** की मीटिंग आरंभ में **09.06.2020** कें लिए रखी गई थी परंतु वह हो न सकी और दिनांक **16.06.2020** को पुनर्निधारित की गई थी।

विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय मंत्री जो कि उस मीटिंग के अध्यक्ष थे, वे अस्पताल में भर्ती हो गए थे इसलिए दिनांक 16.06.2020 को भी मीटिंग नही हो पाई। विशेष सचिव (गृह) ने अवगत कराया कि अगली मीटिंग **जल्द ही आयोजित की जाएगी।**

अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) और विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करें जिससे योग्य दोषियों पर जल्द ही विचार किया जा सके और यदि सहमति हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए जिससे जेल में भीड़ कम हो सके।

(बी) **दिनांक 18.05.2020 के कार्यवृत्त के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 17.06.2020 केजमानत आवेदन न. 291/2019 के आदेशों के स्पष्टीकरणके संबंध में**

अध्यक्ष की अनुमति से महानिदेशक (जेल)समिति के संज्ञान में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 17.06.2020 की जमानत याचिका सं. ***291/2019*** titled "***Satnam @ Raju vs. State*** में पारित आदेश लाए।

समिति के सदस्यों ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ा जो कि उस याचिकाकर्ता के संबंध में था जो कि FIR No.491/2017 under section 364A/506/342/323/34 IPC PS Paschim Viharमें विचाराधीन कैदी है। याचिका कर्ता की

ओर से यह निवेदन किया गया है कि जैसा कि उच्चधिकार समिति ने दिनांक 18.05.2020 की बैठक में यह निर्णय लिया था कि वे विचाराधीन कैदी जो कि धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत 2 वर्ष से अधिक समय से मुकदमे का सामना कर रहें हं और किसी अन्य केस में सम्मिलित नही हैं उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अतः याचिका कर्ता जो कि धारा 364 ए आईपीसी के अंतर्गत अपराध में सम्मिलित है और समान सजा का सामना कर रहा है उसे भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

समिति के सदस्यों ने माननीय उच्च न्यायालयदिनांक 17.06.2020में पारित आदेश कमो ध्यानपूर्वक पढ़ा और जैसी कि आवश्यकता है सहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपराध की **श्रेणी/वर्ग** को वर्गीकृत करते समय इस समिति ने अंतिम बैठक में जानबूझकर ऐसे अपराधों को छोड़ दिया था जैसे कि फिरौती कें लिए अपहरण, डकैती आदि। उपरोक्त श्रेणी/वर्ग के मामले आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत आतें हैं। अतः दिनांक 18.05.2020 की बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित मानदंडों में इसका वर्णन नही किया गया।

इस पर विचार करते हुए कि उपरोक्त निर्दिष्ट जमानत का मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2020 के लिए सूचीबद्ध है। इस बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि माननीय रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा कोर्ट के समक्ष रखी जाए।

बैठक के **कार्यवृत्त का पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल
महानिदेशक (जेल)

श्री अजिमुल हक
विशेष सचिव (गृह)

कंवलजीत अरोड़ा
सदस्य सचिव
डीएसएलएसए

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,

कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता है कि दिनांक 20.06.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक,

डीएसएलएसए